

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-5/अ0प्र0-01-09/2024 598 /पटना, दिनांक-03/11/25

श्रीमती अनामिका राज, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, चकिया सम्प्रति प्राक्कलन पदाधिकारी, कार्य प्रमंडल, दानापुर को बिहार सेवा संहिता के नियम-220 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक 03.12.2024 से 31.05.2025 तक अपने प्रथम संतान हेतु उपभोगित 180 दिनों के अवकाश अवधि को मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त अवकाश अवधि में श्रीमती अनामिका राज, सहायक अभियंता को परिवहन भत्ता देय नहीं होगा।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


03/11/25

(अभय झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-5/अ0प्र0-01-09/2024 11261 /पटना, दिनांक-03/11/25

प्रतिलिपि:-महालेखाकार का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

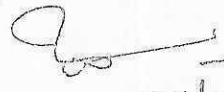

03/11/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-5/अ0प्र0-01-09/2024 11261

/पटना, दिनांक-03/11/25

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/मुख्य अभियंता-1, पटना/मुख्य अभियंता-5, मुजफ्फरपुर/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पटना/मोतिहारी/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, चकिया/दानापुर/श्रीमती अनामिका राज, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, चकिया सम्प्रति प्राक्कलन पदाधिकारी, कार्य प्रमंडल, दानापुर एवं आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


03/11/25

सरकार के संयुक्त सचिव

①